सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

उत्तराखण्ड

सिटीजन चार्टर

(नागरिक अधिकार–पत्र)

जनवरी 2018 तक संशोधित

संकल्प

उत्तराखण्ड के समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों के कल्याण एवं सेवानियोजन व रोजगार के माध्यम से पुनर्वासन हेतु कृत संकल्प।

लक्ष्य

1 पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रुप देना।

2 समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देकर रोजगार/स्वरोजगार/सेवायोजन योग्य बनाना।

3 समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।

4 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लाभों को अनुमन्य कराना।

5 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं से केन्द्र व राज्य सरकार को अवगत कराना तथा उनका समाधान करना।

6 समस्त पूर्व सैनिकों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें नागरिक जीवन के प्रति अभिमुखीकरण करना।

7 प्रदेश निवासी समस्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को उत्त्राखण्ड के विकास हेतु समर्पित होने के लिये प्रेरित करना।

विषय सूची

क्रमं सं	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भारत में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास का संक्षिप्त इतिहास।	04
2	भारत में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास व्यवस्था।	05–07
3	सूचना अधिकार अधिनियम।	07
4	पूर्व सैनिक की परिभाषा।	08
5	केन्द्र सरकार द्वारा सैनिकों एवं उनके आश्रितों को देय सुविधायें।	09–12
6	विभिन्न पदकों पर केन्द्र सरकार द्वारा देय वित्तीय भत्ता।	13
7	पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं को देय पेंशन लाभ।	13–17
8	भारतीय सेना में भर्ती की पद्धति।	17–21
9	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय आर्थिक सहायता।	22–23
10	उत्तराखण्ड सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास का संक्षिप्त इतिहास।	24
11	राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें।	25–28
12	कारगिल शहीदों के आश्रितों/युद्ध अपगों को देय अनुदान।	29
13	उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा देय सुविधायें।	30
14	उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा देय अनुदान।	31–35
15	सेवारत/पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों के लिये लाभदायक निर्देश।	36–37
16	उत्तराखण्ड के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का पता एवं दूरभाष।	38
17	उत्तराखण्ड में सैनिक विश्राम गृहों की सूची।	39

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास का इतिहास

1. प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर दिनांक 07 सितम्बर 1919 को 'भारतीय सैनिक परिषद (Indian Soldiers Board) की स्थापना हुई । इस परिषद का उददे्श्य सरकार को सेवानिवृत्त, मृतक, अपंग सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास के संबंध में सलाह प्रदान करना था ।

2. भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् इस परिषद का नाम बदलकर भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषद (Indian Soldiers, Sailors and Airmen Board) कर दिया गया। इस परिषद का नाम पुनः 1975 में बदल कर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड रख दिया गया, जो एक संवैधानिक परिषद है । यह बोर्ड वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं में अपना योगदान देता है । सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण की महत्ता को समझते हुये सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय स्तर पर एक नये 'पूर्व सैनिक कल्याण विभाग' की स्थापना की गई जिसके अर्न्तगत केन्द्रिय सैनिक बोर्ड कार्य करता है।

3. यद्यपि सेवा निवृत्त सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण संबंधी कार्यो की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों की है, परन्तु इसमें अधिकांश उत्तरदायित्व तथा उनकी समस्याओं का निदान राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है । अतः प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये 'राज्य सैनिक कल्याण परिषद' का गठन किया गया है । सैनिक कल्याण से संबंधित सभी कार्य जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से किये जाते हैं। राज्य स्तर परामर्श देने के लिये निदेशालय भी बनाये गये है। जिला स्तर पर परामर्श देने के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 'जिला सैनिक परिषद' का गठन किया गया है । उत्तराखण्ड में 13 जनपदों में 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हैं ।

भारत में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास व्यवस्था

4. भारत में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए तथा दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों एवं अन्य स्थलों पर सेवारत सैनिकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विशाल तंत्र सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के रूप में कार्यरत है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याणार्थ केन्द्र सरकार की योजनाएं भी राज्य सैनिक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से ही संचालित होती है।

5. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड.** इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री भारत सरकार तथा सचिव सेवारत ब्रिगेडियर अथवा समकक्ष अधिकारी होते हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पूर्व सैनिक कल्याण संबंधी नीति निर्देशों का कार्यान्वयन, प्रदेश स्तर पर राज्य सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला स्तर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।

6. **पुनर्वास महानिदेशालय.** महानिदेशालय, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास संबंधी समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। इसके महानिदेशक सेवारत मेजर जनरल पद के अधिकारी होते हैं। इस महानिदेशालय का मुख्य उत्तरदायित्व सेवायोजन, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हैं। कमांड स्तर पर क्षेत्रीय पुनर्वास निदेशक नियुक्त होते हैं, जो राज्य सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए पुनर्वास कार्यों में सहायता करते हैं। उत्तराखण्ड, मध्य क्षेत्रीय पुनर्वास निदेशक, लखनऊ के अन्तर्गत आता है।

7. **सेवायोजन प्रकोष्ठ.** उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों के सेवायोजन में सहायता हेतु 'उत्तर भारत एरिया' एवं 'उत्तराखण्ड सब एरिया' के अन्तर्गत विभिन्न सैन्य मुख्यालयों (स्टेशन हेडक्वाटर्स) में सेवायोजन प्रकोष्ठ (हेल्पलाईन) स्थापित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त सैन्य मुख्यालयों, यूनिट मुख्यालयों, रेजिमेंटल मुख्यालयों आदि द्वारा भी कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। नयी निति के अर्न्तगत प्रत्येक कमान्ड तथा सब एरिया मुख्यालयों में कल्याणकारी योजनाओं हेतु एक सेवारत अधिकारी कर्नल वैट्रन के रुप में नियुक्त किये गये है।

8. **राज्य सैनिक कल्याण परिषद.** प्रत्येक राज्य में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं के सम्बंध में दिशा–निर्देश व सलाह प्रदान करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 'राज्य सैनिक कल्याण परिषद' का गठन किया गया है। राज्य के निदेशक सैनिक कल्याण इस परिषद के पदेन सचिव होते हैं।

9. **<u>जिला सैनिक कल्याण परिषद</u>** प्रत्येक जनपद में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणकारी योजनाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिये एक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित है तथा एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारीकी नियुक्ति भी की गयी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद का गठन भी किया गया है। जिला प्रशासन के सभी उच्चाधिकारी इस परिषद के सदस्य मनोनित किये जाते हैं। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी इस परिषद के पदेन सचिव होते हैं।

10. **<u>निदेशालय सैनिक कल्याण</u>** राज्य स्तर पर पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी कार्यों के संपादन हेतु निदेशालय सैनिक कल्याण की स्थापना की गई। इस निदेशालय की मुख्य भूमिका निम्नवत हैः–

(क) पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी प्रकरणों का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना।

(ख) पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं को संचालित करना।

(ग) प्रदेश में सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के कार्य कलापों पर नियंत्रण रखना एवं दिशा–निर्देश प्रदान करना।

(घ) प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निगमों, संस्थानों, विभागों आदि से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व सैनिकों का पुनर्वास करना।

(च) पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों तथा सेवारत सैनिकों के परिवारों के कल्याण संबंधी कार्य करना।

(छ) भारत सरकार से राज्य सैनिक कल्याण विभाग के अधिष्ठान के व्यय की 75 प्रतिशत की भागीदारी प्राप्त करना।

(ज) पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को स्वतः रोजगार में सहायता प्रदान करना।

(झ) पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ स्थापित सभी निधियों का संचालन करना।

(ट) भारत सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए समय– समय पर निर्गत निर्देशों का प्रचार– प्रसार करना।

(ठ) सशस्त्र सेनाओं को भर्ती रैलियां आयोजित करने में मदद करना।

(ड) राज्य स्तर पर 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' (07 दिसम्बर) का आयोजन करते हुए आम जनता को सैनिकों के बलिदान के प्रति जागरूक करते हुए प्रतिवर्ष पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना।

11. **जिला सैनिक कल्याण कार्यालय** जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की भूमिका निम्नवत हैः–

(क) पूर्व सैनिकों/ सैनिक विधवाओं के पेंशन संबंधी समस्याओं का निदान करना।

(ख) स्थानीय जिला प्रशासन संबंधी पूर्व सैनिकों/ उनके आश्रितों की समस्याओं के निदान में सहायता करना।

(ग) भारतीय सेनाओं की ख्याति बढ़ाये रखने हेतु आम जनता के मध्य प्रचार– प्रसार करना।

(घ) सेनाओं मे भर्ती हेतु आम जनता का मार्गदर्शन करना।

(च) जरूरतमंद पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को विभिन्न श्रोतों से अनुदान दिलाना।

(छ) पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को केन्द्रीय/ प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत लाभों से अवगत कराना तथा इन लाभों कों प्राप्त करने में सहायता कराना।

(ज) स्थानीय प्रशासन, संस्थाओं, निकायों आदि से परस्पर समन्वय स्थापित कर पूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करना।

(झ) पूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार हेतु समितियों के गठन में सहायता प्रदान करना।

(ट) स्वतः रोजगार हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों को प्रैरित करते हुए ऋण दिलाना।

(ठ) पूर्व सैनिक रैलियां एवं जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठक आयोजित करना।

(ड) सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन तथा अधिक से अधिक धन संग्रहित करना।

(ढ) पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु विभिन्न श्रोतों से प्राप्त धनराशि का उचित वितरण करना।

सूचना अधिकार अधिनियम

12. विभागीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिये पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 से 'सूचना अधिकार अधिनियम' लागू हो गया है। सैनिक कल्याण निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी तथा सैनिक कल्याण विभाग हेतु उप निदेशक को विभागीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोई भी व्यक्ति रुपये 10/– की धनराशि का भुगतान कर विभाग से संबंधित कोई भी सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।

पूर्व सैनिक की परिभाषा

13. पूर्व सैनिकों से अभिप्राय किसी भी ऐसे सैनिक से है, जिसने सशस्त्र सेनाओं में सेवा की हो। यह परिभाषा समय–समय पर बदलती रही है। मोटे तौर पर इसका वर्गीकरण इस प्रकार हैः–

(क) 01 जुलाई 1968 से पूर्व सेवामुक्त हुए ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में सेवा की हो और उसे सेवा से मुक्त किया गया हो बशर्ते उसे बुरे आचरण या अयोग्यता के कारण सेवामुक्त न किया गया हो।

(ख) 01 जुलाई 1968 या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 79 से पूर्व सेवामुक्त हुए ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में (योद्धा या अयोद्धा के रूप में) साक्ष्यांकन के बाद कम से कम छः माह तक लगातार सेवा की हो।

(ग) 01 जुलाई 1979 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 87 से पूर्व सेवामुक्त हुए ऐसे व्यक्ति जिसने अपने अनुरोध की अपेक्षा, अन्य कारणों से सेवामुक्त किया गया हो तथा उसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में (योद्धा या अयोद्धा के रूप में) साक्ष्यांकन के बाद कम से कम छः माह तक लगातार सेवा की हो और यदि अपने अनुरोध पर सेवामुक्त किया गया हो तो कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो।

(घ) 01 जुलाई 1979 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई 87 से पूर्व सेवामुक्त हुए ऐसे व्यक्ति जिसने अपने अनुरोध की अपेक्षा, अन्य कारणों से सेवामुक्त किया गया हो तथा उसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में (योद्धा या अयोद्धा के रूप में) साक्ष्यांकन के बाद कम से कम छः माह तक लगातार सेवा की हो और यदि अपने अनुरोध पर सेवामुक्त किया गया हो तो कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो।

(च) 01 जुलाई 1987 को या उसके बाद सेवामुक्त हुए ऐसे व्यक्ति जिसने भारत संध की नियमित थल सेना,नौ सेना में किसी भी रैंक में सेवा की हो और अपने अनुरोध की बजाय, रक्षा बजट से किसीभी रैंक में सेवा की हो और अपने अनुरोध के बजाय, रक्षा बजट से किसी से किसी प्रकार पेंरूान के साथ सेवामुक्त/सेवानिवृत्त हुआ हो या अपने अनुबन्धित कार्यवधि पूर्ण होने पर ग्रेच्यूटी के साथ सेवा मुक्त हो।

(छ) इन सभी श्रेणियों में सेवा कार्मिक जो बर्खास्तगी या कदाचार या अकुशलता के कारण सेवामुक्त कर दिए गए वे भूतपूर्व सैनिक नहीं होगे।

(ज) वे रिकूंट पूर्व सैनिक की परिभाषा में आते है जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त किया गया हो व उन्हें मेडिकल पेंशन स्वीकृत हों।

पूर्व सैनिक पहचान पत्र

14. जिला सैनिक बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों/विधवाओं को पहचान पत्र निर्गत किया जाता है। पहचान पत्र हेतु स्टाम्प साईज की तीन फोटो, डिस्चार्ज बुक/पी. पी.ओ व अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने जनपद के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में संपर्क स्थापित करना चाहिये। भारत सरकार एस.आर.ओ. दिनांक 13 अप्रैल 1993 के अनुसार पहचान पत्र सभी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिये नितान्त आवश्यक हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को देय सुविधाएं

सेवायोजन

15. देश की सशस्त्र सेनाओं की कार्य कुशलता बनाए रखने के लिये सैनिकों को कम आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। साधारणतया, अधिकांश सैनिक लगभग 35–40 वर्ष की आयु मे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जबकि इस आयु में उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। इस समस्या के मददेनजर ही केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा इन पूर्व सैनिकों के लिये सेवायोजन मं क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पूर्व सैनिकां को जिला प्रशासन से उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सेवायोजन हेतु पूर्व सैनिकों को आयु एंव शैक्षिक योग्यता में छूट प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु समय–समय पर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित होती रहती है। आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत हैः–

क्रमं सं	विवरण	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
(क)	केन्द्र सरकार के कार्यालय	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
(ख)	केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम	14.5 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत

16. तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ सेवायोजन हेतु जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को संप्रेषण के अधिकार प्राप्त हैं। सेना सेवा के दौरान विकलांग सैनिको की प्राथमिकता प्रथम एवं शहीद तथा युद्ध विकलांग सैनिकों के आश्रितों को प्रथमिकता द्वितीय प्रदान की जाती है । अधिकारियों का सेवायोजन हेतु पंजीकरण महानिदेशालय पुनर्वास तथा अन्य का जिला सैनिक कार्यालयों में होता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी दो वर्ष पूर्व, अधिवर्षता पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी रिलीज आर्डर प्राप्त होने पर तथा अल्पावधि कमीशन्ड अधिकारी रिलीज होने से 6 माह पूर्व पंजीकरण करा सकते है।

शैक्षिक योग्यता एवं आयु में शिथिलता

17. चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु सैनिकों को शैक्षिक योग्यता से मुक्त रखा गया है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पूर्व सैनिक अर्ह माने जायेंगे, चाहे उक्त पद पर सीधी भर्ती होने के लिए योग्यता अधिक ही है। आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये किसी भी पूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सेना में की गई सेवा अवधि को कम करने के उपरान्त तीन वर्ष जोडी जायेगी।

स्वरोजगार

18. महानिदेशालय पूनर्वास, अधिकारियों को निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए प्रोत्साहित करती है इस व्यवस्था से जहां एक ओर अधिकारियों को सेवायोजन जैसी सुविधा प्रदान करने हेतु राजकीय/निजी उद्योगों एवं संस्थाओं में ठेके दिलाये जाते है, वही अन्य पूर्व सेनिकों को भी रोजगार प्राप्त होता है। महानिदेशालय का स्वरोजगार प्रकोष्ठ लघु उद्योगों के लिए सिडबी तथा नाबार्ड के सहयोग से कृषि आधारित उद्यम एवं खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन की ओर से खादी एवं ग्रामीण उद्यम स्थापित करने में सहयोग प्रदान करने में सहयोग प्रदान करता हैं। स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ व्यक्तिगत तौर पर पूर्व सैनिको द्वारा मिलकर सहकारी समितियां/सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर किया जा सकता है। स्वरोजगार सम्बंधी जानकारियां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

एन.ई.एफ.योजना

19. यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास निगम के सहयोग से चलाई जाती है। योजना की लागत अधिकतम रू 50 लाख तक है। उद्यमी का योगदान 10 प्रतिशत होता है तथा 25 प्रतिशत सुलभ ऋण जिस पर मात्र 5 प्रतिशत की दर से सेवा अधिभार लिया जाता है एवं जमानत की धनराशि लागू नही है।

वित्त पोषण योजना

20. यह योजना राज्य सरकार की योजना है। इसकी अवधि 5 वर्ष की होती है । समय–समय पर इसकी अवधि 5 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश निवासी पूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाआं को उद्योग एवं व्यवसाय हेतु ऋण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सैनिक पुनर्वास संस्था उत्तराखण्ड से रूपये 30,000/–तक का ब्याज अनुदान दिया जाता है।

लघु उद्यमों को छूट उपादान

21. रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए निर्मित्त वस्तुओं के मूल्य का 10 प्रतिशत या रूपये 50,000 जो भी कम है, उपादान छूट के रूप मे प्रदान किया जाता है। यह छूट एक वित्तीय वर्ष मे एक बार लगातार पांच वर्षो तक अनुमन्य है।

तेल उत्पाद वितरण एजेन्सी

22. तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञप्ति दिये जाने के पश्चात उपयुक्त क्षेत्रों में निर्धारित प्रपत्र पर, महानिदेशालय पुनर्वास से प्राप्त पात्रता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होता है। तेल मंत्रालय के संगठित चयन बोर्ड पात्र लाभार्थियो का चयन करता है। इसके लिए पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के लिए आठ प्रतिशत का आरक्षण है।

रेल यात्रा में छूट

23. परमवीर चक्र, महावीर चक्र,अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से अलंकृत सैनिकों व सैनिक विधवाओं को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित यान में मुफ्त रेल यात्रा।

24. कारगिल व आई0पी0के0एफ0 के शहीद सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास यान से यात्रा में 75 प्रतिशत छूट।

वायु यात्रा में छूट

25. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रास, जार्ज क्रास, डिस्टिंग्वीस सर्विस क्रास, मिलीट्री क्रास, डिस्टिंग्वीस फ्लाइंग क्रास व जार्ज मेडल से अंलकृत सैनिकों व सैनिक विधवाओं को 75 प्रतिशत की छूट।

26. युद्ध अपंग सेवामुक्त अधिकारी व आश्रित सदस्य को 50 प्रतिशत की छूट।

27. स्वतंत्रता पूर्व की युद्ध विधवाओं को 50 प्रतिशत की छूट।

टेलीफोन सुविधा

28. पंजीकरण व स्थापना शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट । निम्नलिखित वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों/विधवाओं को साधारण किराये में पूरी छूट :–

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र।
(ख) युद्ध विधवाओं।
(ग) युद्ध अपंग सैनिक।

एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 में प्रवेश

29. वर्तमान में 30 सीटें एम0बी0बी0एस0 व एक सीट बी0डी0एस0 में आश्रितों के लिये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित हैं:–

(क) युद्ध में शहीद ।
(ख) युद्ध अपंग एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त।
(ग) सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारण मृत्यु होने वाले सैनिक के आश्रित।
(घ) सेवाकाल के दौरान अपंगता के कारण सेवामुक्त सैनिक के आश्रित ।
(ङ) वीरता पदक प्राप्त सैनिक के आश्रित ।

आ0आई0टी0 में प्रवेश

30. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रूड़की, बी0एच0यू0, आई0टी0 संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में दो सीट में प्राथमिकता पर प्रवेश।

तेल उत्पाद एजेन्सी

31. पेट्रोल पम्प व गैस एजेन्सी आवंटन में आठ प्रतिशत का आरक्षण निम्न प्राथमिकता के अनुसार :–

(क) **प्राथमिकता–I :–** मरणोपरान्त वीरता पदक से अलंकृत सैनिक की विधवा / आश्रित।
(ख) **प्राथमिकता–II :–** युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा / आश्रित।
(ग) **प्राथमिकता–III :–** युद्ध अपंग सैनिक।
(घ) **प्राथमिकता–IV:–** सेना की सेवा कारणों से मृतक सैनिक की विधवा / आश्रित।
(ङ) **प्राथमिकता– V:–** शांतिकाल में सेना की सेवा कारणों से अपंग हुए सैनिक।

विभिन्न पदकों पर केन्द्र सरकार द्वारा देय वित्तीय भत्ता

32. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न वीरता पुरुस्कार विजेताओं/उनकी विधवाओं को प्रति माह निम्न दर से मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे प्राप्त करने हेतु संबन्धित अभिलेख कार्यालय को आवेदन किया जा सकता है :–

क्र0 सं0	वीरता पदक	धनराशि
1	परमवीर चक्र	20,000/–
2	अशोक चक्र	12,000/–
3	महावीर चक्र	10,000/–
4	कीर्ति चक्र	9,000/–
5	वीर चक्र	7,000/–
6	शौर्य चक्र	6,000/–
7	सेना मैडल (गैलेंट्री)	2,000/–

पूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों को देय पेंशन

33. नवीनतम आदेशानुसार, सभी रैंको की पुनर्निरीक्षित पेंशन, वर्तमान मूल वेतन का 50 प्रतिशत तथा सैनिक की मृत्यु के बाद सात साल या 67 वर्ष की आयु तक उसकी विधवा को उसके पति का मूल वेतन का 50 प्रतिशत के बराबर होगा उसके उपरान्त विधवा को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत या रूपये 9000/– से कम नही होगी ।

पेंशन हेतु आवश्यक सेवा काल

36. सेना मे निम्नलिखित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त ही पेंशन देय होती है:–

(क) ऑफिसर – 20 वर्ष

(ख) अन्य रैंक – 17 वर्ष

(ग) एन.सी.ई. – 20 वर्ष

पेंशन के प्रकार

37. आम तौर पर उपरोक्त सेवा अवधि पूर्ण होने पर एक सैनिक को उसके द्वारा आहरित अंतिम 10 महीनो के औसत मूल वेतन एंव महंगाई वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्राप्त होती है। जिस पर महंगाई राहत भी समय–समयपर देय है । भारत सरकार वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या –275/92/2003/ आई.टी.सी.(पी) दिनांक 25 मार्च 2005 के अनुसार पारिवारिक पेंशन वेतन की श्रेणी में नही आता है। अतः पारिवारिक पेंशन पर वितरण के समय, बैंकों/कोषागारों द्वारा कोई टैक्स नही काटा जायेगा। सैनिक विधवाओं को आमतौर पर निम्न प्रकार की पैंशन प्राप्त होती हैः–

(क) **सामान्य पारिवारिक पेंशन.** सैन्य सेवा के दौरान विना सैनिक कारणों से मृत्यु होने या सेवानिवृत होने के बाद पेंशन प्राप्त सैनिक की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा को सामान्य पारवारिक पेंशन देय होगी । पारिवारिक पेंशन के सभी मामलों में कुल देय वेतन का 30 प्रतिशत या न्यूनतम रु0 9000/– दिनाक 01 जनवरी 2016 से देय है । साधारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित पारवारिक सदस्य हकदार होते है :–

(i) अविवाहित पुत्र/पुत्री जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम हो या जीविकोपार्जन करने तक जो भी पहले हो ।

(ii) अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री जो कि आश्रित है (जीवनपर्यन्त) ।

(iii) आश्रित माता/पिता बशर्ते उनकी मासिक आय रु0 3500/– प्रतिमाह से अधिक न हो ।

(iv) **साधारण पारिवारिक पेंशन का विभाजन**. यदि मृतक एक से अधिक विधवा पीछे छोड जाता है तो साधारण पारिवारिक पेंशन की राशि बराबर भागों में बॉट दी जायेगी । उसकी (विधवा) मृत्यु पर उसका हिस्सा उनके बच्चों को चला जायेगा यदि कोई बच्चा नही है तो उसका हिस्सा दूसरी विधवा को दे दिया जायेगा । तलाकशुदा पत्नी के बच्चे भी अपनी मॉ का हिस्सा पाने के हकदार होगें । यदि साधारण पारिवारिक पेंशन मूल प्राप्तकर्ता को देने से रोक दी जाती है तथा बच्चा उसके लिये योग्य होता है तो पेंशन बच्चे को स्वीकृत की जायेगी । माता–पिता जो कि मृतक के जीवित होने के समय उस पर पूर्णरुप से निर्भर थे तथा सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो यदि विधवा और बच्चे हों तो माता–पिता को

उनके पारिवारिक पेंशन के लिये अयोग्य हो जाने के पश्चात साधारण पेंशन उन्हे देय होगी । सरकार लापता कार्मिक/पेंशनर के परिवार को सामान्य दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देती रहेगी । पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात अभिलेख कार्यालय से पत्राचार किया जायेगा।

(ख) **विशेष पारिवारिक पेंशन ।** सेना के सेवा कारणों से यदि किसी सैनिक की मृत्यु युद्ध क्षेत्र से बाहर होती है तो मृतक सैन्य कार्मिक को विशेष पारिवारिक पेंशन अगले वारिस को स्वीकृत की जायेगी । विशेष पारिवारिक पेंशन की दर गणनीय परिलब्धियों के 60 प्रतिशत की निश्चित दर पर गणना की जायेगी (वेतन जिसमें अंतिम आहरित वर्गीकरण भत्ता, अवरुद्ध वेतनवृद्धि भी शामिल है)। विधवा के बच्चे हों या न हों, न्यूनतम पेंशन रुपये 9000/– प्रतिमाह देय होगी । विशेष पारिवारिक पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नही हैं। यदि बच्चे लाभार्थी हैं विशेष पारिवारिक पेंशन उसी दर पर (जैसा कि गणनीय परिलब्धियों का 60 प्रतिशत) सबसे जेष्ठ योग्य बच्चे को जब तक 25 वर्ष का नही हो जाता/जाती या उसके/उसकी विवाह होने तक जो भी पहले हो देय होगा, तत्पश्चात विशेष पारिवारिक पेंशन अगले योग्य बच्चे को दे दी जायेगी । दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद यदि सैन्य विधवा पुनर्विवाह भी कर लेती है तो भी उसे पेंशन प्राप्त होती रहेगी । विशेष पारवारिक पेंशन निम्नलिखित मामलों पर लागू नही होती :–

(i) आत्महत्या मामलों में ।

(ii) लापता मामलों में ।

(ग) **उदारीकृत पारिवारिक पेंशन ।** सैन्य सेवा के दौरान युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में सैनिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को उदारीकृत पेंशन प्राप्त होती है । भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय ने अपने पत्रांक 24004/ पेन–सी/71 दिनांक 24 फरवरी 1972 के तहत किसी पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध में या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद हुये या अपंग हुये सैनिकों के नामित वारिस को उदारीकृत पेंशन का भुगतान किया जाता है । सैन्य कर्मियों के नामित वारिस को मूल वेतन वृद्धि रैंक वेतन अच्छी सेवा वेतन मॅहगाई भत्ता आदि तत्वों के बराबर उदारीकृत पेंशन दी जाती है । इस श्रेणी के तहत अधिकारी रैंक से नीचे के नामांकित वारिसों को उदारीकृत पारिवारिक

पेंशन अंतिम आहरित परिलब्धियों के बराबर मृत्यु तक अथवा अयोग्य होने तक देय होगा । यदि किसी पी0बी0ओ0आर0 की पत्नी जीवित नहीं है किन्तु बच्चा/बच्ची (बच्चे) जीवित हैं तो 25 वर्ष की आयु अर्थात अयोग्य होने तक सभी बच्चे गणनीय परिलब्धियों के 60 प्रतिशत के बराबर उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के हकदार होगें । वरिष्ठतम बच्चे की मृत्यु/अयोग्यता होने पर यह अन्य योग्य बच्चों की राशि में बॉट दी जायेगी । जब सभी बच्चें अयोग्य हो जायें तब भी अपंग बच्चे को निरंतर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी । अपंग बच्चा जीवनपर्यन्त उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के 60 प्रतिशत भाग अनवरत रुप से प्राप्त करता रहेगा ।

(घ) **विकलांगता पेंशन.** सशस्त्र सैन्य कार्मिक जब सेवा से अयोग्य धोषित हो जाता है तथा उसकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण आरोप्य/अपवृद्धि हुई है ऐसा स्वीकार कर लिया जाता हैं तो वह विकलांगता पेंशन का हकदार होगा जिसमें सेवा अंश तथा विकलांगता शामिल होगा जो सेवा अंश अन्तिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत है । विकलांगता पेंशन का दावा तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की विकलांगता के कारण सेवा से अयोग्य धोषित कर दिया जाता ै तथा उसकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण अथवा सेवा के दौरान विमारी में अयोग्य या अपवृद्धि के कारण स्वीकार किया गया है व उसकी विलांगता 20 प्रतिशत या उससे अधिक निर्धारित की गयी है । सभी रैंक के लिये 01 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत होने वाले व्यक्तियों का विकलागंता अंश, 100 प्रतिशत अशक्तता के लिये उनके मूल के 30 प्रतिशत के बराबर विलांगता यदि 100 प्रतिशत से कम है तो उसकी गणना उसी अनुपात में कम हो जायेगी । सरकारी पत्र दिनांक 31 जनवरी 2001 के पैरा 4.1 में वर्णित परिस्थितियों के अनुसार सशस्त्र सेना कार्मिक यदि सेवा से अशक्त धोषित कर दिया जाता है तो विकलांगता अंश की संगणना निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जायेगी :–

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रुप से निर्धारित विकलांगता का प्रतिशत	**विकलांगता अंश की संगणना हेतु संगणनीय प्रतिशत**
1 से 49 के बीच	50 प्रतिशत
50 से 75 के बीच	75 प्रतिशत
76 से 100 के बीच	100 प्रतिशत

पेशन प्राप्त करने हेतु संयुक्त बैंक खाता

38. फरवरी 2008 से एक पेंशनर अपनी पत्नी के साथ संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकता है। सभी पेंशनर्स को आवश्यक परिवर्तन हेतु अपने पेशन देने वाले बैंक को निवेदन करना चाहिए। (प्राधिकार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या– 1527/बी/05/डी/पेशन सेवाए दिनांक 08 फरवरी 2006)

डी.ओ. पार्ट–2 आर्डर का महत्व

39. सभी पूर्व सैनिकों को पेंशन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु अपने आश्रितो का डी.ओ.पार्ट –2 आर्डर कराना आवश्यक है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त यदि किसी पूर्व सैनिक द्वारा विवाह किया जाता है व बच्चे पैदा होते है या अपंग बच्चा हो जाता है तो इस विषयक डी.ओ.–2 आर्डर पांच वर्षो के भीतर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य है। पांच वर्ष से पुराने प्रकरणों हेतु यह छूट सिर्फ अगस्त 2007 तक ही अनुमन्य है।

भारतीय सेना में भर्ती की पद्धति(PROCEDURE)

40. जोनल रिक्रूटिंग कार्यालय एवं उत्तराखण्ड राज्य मे स्थित आर्मी रिक्रूटिंग कार्यालयों का पताः–

(क) मुख्यालय रिक्रूटिंग जोन, 236, महात्मा गॉधी रोड लखनऊ कैंट–226002 मिलट्री टेलीफोन न0–2838

(ख) आर्मी रिक्रूटिंग कार्यालय, लैंसडोन जिला, पौडी (उत्तराखण्ड)।

(ग) आर्मी रिक्रूटिंग कार्यालय अल्मोडा जिला– अल्मोडा।

(घ) आर्मी रिक्रूटंग कार्यालय पिथौरागढ जिला – पिथौरागढ।

41. जोनल रिक्रूटिंग कार्यालय लखनऊ उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए भर्ती रैली आयोजित करता है। अभ्यर्थियों को भर्ती रैली क्षेत्र में निम्नलिखित दस्तावेज साथ में ले जाना होता हैः–

(क) अपनी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट की अंकतालिका/ सनद की मूलप्रति

(ख) 15 पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ बगैर टोपी के तथा कान साफ दिखाई देने चाहिए।

(ग) मूल निवास प्रमाण पत्र (फोटो लगा हुआ)।

(घ) जाति प्रमाण पत्र (सभी जातियों के लिए आवश्यक)

(ङ) चरित्र प्रमाण पत्र (छः महीने के अन्दर निर्गत होना चाहिए)

(च) एन.सी.सी. सर्टीफिकेट, यदि हो तो ।

42. कार्यरत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध शहीद की विधवा के आश्रितो को शारीरिक मापदण्ड में विशेष छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त आश्रितों को लिखित परीक्षा पास करने के बाद 20 प्रतिशत बोनस अंक भी प्रदान किये जाते है।

43. युद्ध शहीद विधवा के आश्रितों के लिए विशेष भर्ती की व्यवस्था की गयी है। जिसके तहत, सम्बन्धित रेजीमेन्टल सेन्टर, युद्ध शहीद विधवा के आश्रितों को न्यूनत्तम शारीरिक मापदण्ड की योग्यता पूर्ण होने पर बगैर लिखित परीक्षा के भर्ती कर सकता है।

44. एन.सी.सी. 'ए' एवं 'बी' प्रमाण पत्र धारित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाते हैं । एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र धारित अभ्यर्थी सैनिक जनरल ड्यूटी/ कर्मकार (Tradesman) वर्ग में बिना लिखित परीक्षा के भर्ती किये जाते हैं।

45. विभिन्न वर्गों हेतु योग्यता

वर्ग	शिक्षा	उम्र (वर्ष)	न्यूनत्तम लम्बाई से.मी.	शारीरिक वजन कि.ग्रा.	मापदण्ड छाती से.मी.
सैनिक सामान्य नॉन टैक्निकल	मैट्रिक(हाईस्कूल) न्यूनत्तम 45% अंक के साथ या इण्टरमीडिएट (10+2)	17.5-21वर्ष	166	50	77/82
सैनिक टैक्निकल	(अ) 10+2/ इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग फजिक्स, कैमिस्ट्री, गणित/बाईलोजी एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 50 अंक के साथ पास । (ब) अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक के साथ पास एवं विशेषकर जिस ट्रेड से सम्बन्धित हो।	17.5 21 वर्ष	166	50	77/82
सैनिक कर्लक/स्टोरकीपर	(अ) 10+2/ इण्टरमीडिएट किसी वर्ग से आर्ट, कामर्स, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 50 प्रतिशत के साथ पास (ब) अभ्यर्थी प्रत्येक विषय मे 40 प्रतिशत अंक से पास होना चाहिए। (स) कम्प्यूटर एवं टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेगे	17.5 23 वर्ष	162	50	77/82
सैनिक नर्सिंग सहायक	(अ) 10+2/ इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बाइलोजी एवं अंग्रेजी विषयो के साथ 50 प्रतिशत अंक के साथ पास । (ब) अभ्यर्थी के प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक होने चाहिए।	17.5-23वर्ष	165	50	77/82
सैनिक कर्मकार (Tradesman)	नान मैट्रिक(9th पास)	17.5-23वर्ष	166	48	76/81
नायब सूबेदार धर्मगुरू(रिलीजियस टीचर्स)	स्नातक एवं अपने धर्मग्रन्थ में विशेष योग्यता ।	27-34वर्ष	155	50	77/82

नायब सूबेदार कैटरिंग जे.सी.ओ.	10+2 तथा किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सीटी से फूड क्राफ्ट में एक वर्ष या उससे अधिक का डिप्लोमा।	21-27वर्ष	166	50	77/82
शिक्षक हवलदार	स्नातक एवं अपने धर्मग्रन्थ में विशेष योग्यता ।	20-25वर्ष	162/167	50	77/82
इन्जीनियर कोर में हवलदार सर्वेयर, आटोमेटेड कार्टोग्राफर	बी.ए./बी.एस.सी.(10+2 में गणित एवं विज्ञान विषय के साथ पास)	20-25वर्ष	166	50	77/82

नियुक्ति प्रक्रिया

46. भर्ती रैली का आयोजन एक या एक से अधिक जिलों के लिए आयोजित की जाती है। अभ्यर्थी को अपने जिले के लिए निर्धारित तिथि को भर्ती रैली स्थान पर दिये गये समय पर रिपोर्ट करना होता है। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित परीक्षा होती है:–

(क) **शारीरिक फिटनेस जाँच**

(i) **1 मील दौड**

(अ) 5.40 मिनट एवं उसके नीचे – 60 अंक
(ब) 5.41 मिनट एवं 5.50 मिनट – 48 अंक
(स) 5.51 मिनट से 6.05 मिनट – 36 अंक
(द) 6.06 मिनट से 6.20 मिनट – 24 अंक

(ii) **बीम (Pull ups)** न्यूनत्तम 6 पुल अप मे पास (अंक 16), 7 पुल अप – 21 अंक, 8 पुल अप –27 अंक, 9 पुल अप –33 अंक, 10 एवं उससे अधिक पुल अप – 40 अंक दिये जाते है।

(iii) सन्तुलन (Balance)

(iv) 9′ फीट गड्ढा (Ditch)

(ख) **चिकित्सा जाँच**

छाती अच्छी विकसित होने के साथ–साथ 5 से.मी. फुलाने की क्षमता भी होनी चाहिए। कानों की सुनने की क्षमता साधारण एवं आँखो की दूरी देखने के विजन चार्ट के मुताविक 6/6 होनी चाहिए। रंगीन विजन सी.पी. –III होनी चाहिए। अभ्यर्थी किसी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी इस मेडिकल जांच में सफल पाये जाते है उनको लिखित परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) निर्गत किया जाता है जो अभ्यर्थी मेडिकल जांच मे (тemporary unfit) पाये जाते हैं, उन्हे सेना अस्पताल मे पुनः जांच हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञ डॉक्टर के पास अग्रसारित कर दिया जाता है। पुनः जांच में सफल होने पर लिखित परीक्षा के लिये जा सकते है।

47. **सीधे नायब सूबेदार(JUNIOR COMMISION OFFICER) के रैंक पर धर्मगुरु की भर्ती.** जूनियर कमीशन अधिकारी (धर्मगुरू) की भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। इसके लिये मुख्य समाचार पत्रो व रोजगार समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है।

48. **सीधे नायब सूबेदार(JUNIOR COMMISION OFFICER) के रैंक पर (CATERING JCO) की भर्ती.** जूनियर कमीशन अधिकारी (केटरिंग) की भर्ती वर्ष में एक बार होती है। इसके लिये मुख्य समाचार पत्रों व रोजगार समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है।

49. **शिक्षक हवलदार के पद पर भर्ती**. शिक्षक हवलदार के पद पर भर्ती के लिए मुख्य समाचार पत्रों व रोजगार समाचार मे विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है।

50. **इन्जीनियर कोर मे हवलदार सर्वेयर, अटोमेटेड कार्टोग्राफर**. सामान्य इन्जीनियर कोर में हवलदार सर्वेयर, अटोमेटेड कार्टोग्राफर के पद पर भर्ती के लिए वर्ष में एक बार मुख्य समाचार पत्र व रोजगार समाचार मे विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता

51. केन्द्रिय सैनिक बोर्ड से निम्न सहायता दी जाती है :–

क्र.स.	मद	धनराशि (रूपये में)	
(क)	सभी वर्ग के पूर्व सैनिकों हेतु एकमुश्त पैन्यूरी ग्रान्ट (65 वर्ष की आयु से अधिक।	₹ 4000/–	केवल नॉन–पेन्शनर को देय
(ख)	मेडिकल ग्रान्ट (नान–ई0सी0एच0एस0 मेम्बर हेतु)	₹ 30000/– अधिकतम	
(ग)	मेड़िकल ग्रान्ट (नेपाली मूल के पूर्व सैनिक जो नेपाल में निवास कर रहे हैं)	₹ 30000/– अधिकतम	
(घ)	**मकान मरम्मत हेतु अनुदान** (आर्थिक रुप से कमजोर पूर्व सैनिक,विधवायें एव शत– प्रतिशत अशक्त पूर्व सैनिक हेतु)	₹ 20000/–	नॉन– पेंशनर एवं केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(च)	विधवाओं को पूर्व सैनिक के दाह संस्कार हेतु अनुदान ।	₹ 5000/–	
(छ)	**विवाह हेतु अनुदान :–** (i) पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की दो पुत्रीयों के विवाह हेतु अनुदान । (ii) विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु अनुदान।	₹50000/–	
(ज)	**शिक्षा अनुदान** (i) स्नातक कक्षा तक बालक तथा बालिका हेतु । (ii) विधवाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षा तक	₹ 1000/ प्रतिमाह ₹ 1000/– प्रतिमाह	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य

क्र. स.	मद	धनराशि (रूपये में)	
	(iii) <u>विधवा हेतु</u> (अ) वोकेशनल प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति (केवल एक बार अनुमन्य) (ब) स्नाकोत्तर शिक्षा हेतु (iv) एन0डी0ए0 में प्रशिक्षण के दौरान देय भत्ता	₹ 20,000/– (अधिकतम) ₹ 600/–प्रतिमाह ₹ 1000/–प्रतिमाह	केवल हविलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(झ)	<u>निराश्रित अनुदान (वार्षिकी)</u> :– (i) सभी वर्गो के पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों हेतु अनुदान (विवाह होने तक या 21 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो) । (ii) सभी वर्गो के पूर्व सैनिकों के अनाथ (एक पुत्र) हेतु अनुदान (12वींकक्षा तक या 18 साल की उम्र जो भी पहले हो) । (iii) निःशक्त बच्चों हेतु अनुदान ।	₹1000/– प्रतिमाह ₹1000/– प्रतिमाह ₹500/– प्रतिमाह	सभी रैंकं के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य।
(ट)	<u>प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना ।</u> इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेट्रनरी, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, फार्मा, नर्सिग, बी0एड0, एम0एड0, वी0पी0एड0, एम0पी0एड0, यू0जी0/पी0जी0, फिजीओथेरेपी व लॉ इत्यादि हेतु।	₹ 2000/–प्रतिमाह (लड़कों हेतु)। ₹ 2250/–प्रतिमाह (लड़कियों हेतु)।	अभ्यर्थी का 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंको से उर्त्तीण होना आवश्यक है।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड

संक्षिप्त इतिहास

52. 26 दिसम्बर 2001 को महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड के राजाज्ञा सं0–925/एस के/वी.पी./2001 दिनाँक 26 दिसम्बर 2001 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई। निदेशालय, देहरादून में स्थापित किया गया तथा प्रदेश में 13 जनपदों में विभागीय कार्य हेतु पूर्व सैनिकों की संख्या के आधार पर 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पूर्ण रूप से स्थापित हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विभाग के अधिष्ठान के विस्तार हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है एवं शीघ्र ही इसकी स्वीकृति अपेक्षित है। निदेशालय व जिला सैनिक कल्याण में पूर्व सैनिकों के ही सेवायोजन की योजना है।

उत्तराखण्ड के विकास में सैनिकों/पूर्व सैनिकों का योगदान

53. उत्तराखण्ड राज्य एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। पूरे देश के लगभग छः प्रतिशत पूर्व सैनिक उत्तराखण्ड निवासी हैं। यहाँ के प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेना से जुडा है। प्रदेश की 1.01 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 1,66,475 पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 65 हजार सैनिक सेना में कार्यरत हैं। प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भाग केवल पंजीकृत पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं, सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रितों का है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 से 3500 सैनिक सेवा निवृत्त होकर घर आते हैं। प्रदेश के विकास में सैनिकों व पूर्व सैनिकों का प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनुमान है कि प्रति वर्ष कम से कम रूपये 1000 करोड़ सैनिक पेंशन के रूप में तथा 300 करोड सेवारत सैनिकों से मनिआर्डर द्वारा प्रदेश में आता है। सेवानिवृत्त होने के उपरान्त भी पूर्व सैनिक प्रदेश के विकास में सराहनीय योगदान दे रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सुविधायें

54. रोजगार।

पूर्व सैनिकों का सेवायोजन	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को योग्यतानुसार विभिन्न संस्थानों में सेवानियोजित किया जाता है ।
आरक्षण	(अ) पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' व 'घ' की रिक्तियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। (ब) सेना में शहीद सैनिकों के परिवार के दो आश्रितों (विधवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री) को राज्याधीन समूह 'ग' तथा 'घ' की सेवाओं में सेवायोजन हेतु वरीयता दिये जाने का प्रावधान है।

55. आर्थिक सहायता।

द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं, जिन्हें किसी भी श्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नहीं है, को प्रदेश सरकार द्वारा जीविकोपार्जन हेतु ₹ 8000/– प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है।
आवासीय सहायता	युद्ध विधवाओं/युद्ध अपंग सैनिकों, जिन्हें अपंगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो, एकमुश्त आवासीय सहायता ₹ 2,00,000/– अनुमन्य है ।
अनुग्रह अनुदान	विभिन्न युद्ध, सीमान्त झड़प तथा आन्तरिक सुरक्षा में श्हीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एक मुश्त ₹ 10,00,000/– अनुग्रह अनुमन्य है ।

56. प्रशिक्षण।

भर्ती पूर्व प्रशिक्षण	पूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/अर्द्ध सैनिक/ पुलिस बलों की भर्ती में सहायता हेतु जनपद देहरादून व रुद्रपुर में 'भर्ती पूर्व प्रशिक्षण' केन्द्र संचालित हैं। जिनमें आवास, भोजन व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था है।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को स्वावलम्बी बनाने हेतु समस्त जनपदों में निःशुल्क कमप्यूटर प्रशिक्षण संचालित हैं।

57. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण।

जी0 बी0 पंत विश्व विद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में Bsc Ag, Bsc Vet. B.sc Home Science, B. Tech – one seat each)	04 सीट।
राजकीय आई0टी0आई0	08 प्रतिशत।
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	02 प्रतिशत।
राजकीय पालिटेक्निक	03 प्रतिशत।
एम0बी0ए0	02 प्रतिशत।
एम0सी0ए0	02 प्रतिशत।
बी0एड0	15 कृपांक अंक अतिरिक्त(प्रवेश परीक्षा में)।
एल0एल0बी0	05 कृपांक अंक अतिरिक्त(प्रवेश परीक्षा में)।
बी0टी0सी0	3 प्रतिशत।
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल (नैनीताल)	राज्य के सेवारत सैनिकों/पूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित व छात्रवृत्ति अनुमन्य है।

58. अन्य सुविधायें

बस रूट परमिट	राज्य में बस परमिट हेतु पूर्व सैनिकों को 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाता है।
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में युद्ध विधवाओं, युद्ध अपंग सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के लिये 8 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य है।
भूखण्डों के आबंटन में आरक्षण	आवास विकास तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में पूर्व सैनिकों को 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है।

59. <u>वीरता पदक अनुदान राशि।</u> राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदान में वृद्धि कर देश में सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्य का दर्जा प्राप्त।

क्र0सं0	पदक	एकमुश्त	वार्षिकी
(क)	परमवीर चक्र	30,00,000	3,00,000
(ख)	अशोक चक्र	30,00,000	2,50,000
(ग)	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल	7,00,000	60,000
(घ)	महावीर चक्र	20,00,000	2,25,000
(च)	कीर्ति चक्र	20,00,000	2,00,000
(छ)	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	5,00,000	50,000
(ज)	वीरचक्र	15,00,000	1,50,000
(झ)	शौर्यचक्र	15,00,000	1,00,000
(ट)	युद्ध सेवा मैडल	4,00,000	40,000
(ठ)	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल(जी0)	7,00,000	50,000
(ड)	मैशन–इन– डिस्पैच	3,50,000	25,000

60. वीरता पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वार्षिकी राशि 30 वर्ष के स्थान पर आजीवन दिये जाने का निर्णय।

61. **<u>भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट</u>।** भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी की हो उनके लिये आरक्षित सिविल पदो के समूह 'ग' की उन सेवाओं के लिये अर्ह माना जायेगा जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित हो ।

62. **<u>ब्लाक प्रतिनिधियों की नियुक्ति</u>**। पूर्व सैनिकों, विधवाओं, उनके आश्रितों एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के मध्य मिलाप हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक–एक ब्लाक प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है। इनको राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹ 5000/– का मानदेय एवं प्रतिमाह ₹ 1000/– यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। इससे न केवल इनकी कार्यकुशलता बढ़ी है बल्कि 95 पूर्व सैनिकों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

63. **ईको टास्क फोर्स।** प्रदेश में 'इको टास्क फोर्स' की चार कम्पनियों का गठन किया गया है। इससे न केवल प्रदेश की हरियाली एवं पर्यावरण में सुधार होगा बल्कि 432 पूर्व सैनिकों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इन कम्पनियों पर आने वाला पूरा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जो की पॉच वर्षो में लगभग 25 करोड रुपये होगा। प्रदेश में 'इको टास्क फोर्स' की चार अतिरिक्त कम्पनियों के गठन किया जा चुका है।

64. **पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 'शिविरों' का आयोजन।** वरिष्ठ गौरव सेनानियों, विशेषकर दूर–दराज इलाकों के वृद्व सैनिकों और विधवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु हर जनपद में चिन्हित स्थानों पर निश्चित दिनों और समय पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

65. **टोल फ्री टेलिफोन**। पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों को निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों से कल्याणकारी कार्यो हेतु सम्पर्क स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निदेशालय एवं समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निःशुल्क टेलिफोन सेवा लगाने की व्यवस्था की गयी है। इस टेलिफोन पर सम्पर्क करने से कोई शुल्क अदा नही करना पडेगा क्योकि इस पर आने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। **उत्तराखण्ड़ देश का पहला राज्य है जहॉ टोल फ्री सुविधा उपलब्ध है** ।

66. **शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण।** सेवारत सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के प्रदेश में बने हुए शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण एक सप्ताह में निस्तारण के आदेश गृह विभाग द्वारा पारित । अन्य प्रदेशों में बनाये गये शस्त्र लाइसेन्सों का शपथ पत्रों के आधार पर प्रोविजिनल नवीनीकरण करने हेतु आदेश पारित किये जा चुकें है ।

67. **सेवारत एवं सेवानृवित सैनिकों सी0एस0डी0 कैण्टीन के माध्यम से दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में कर से मुक्त किये जाने हेतु अधिसूचना जारी** । सभी सेवारत सैनिक एवं पूर्व सैनिकों को वाहन खरीदने पर विक्रय कर मे छूट दिये जाने का प्रावधान सम्बन्धी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इससे प्रदेश में सेवारत एवं सभी पूर्व सैनिक सभी को वाहन खरीदने में छूट प्राप्त करने पर लाभान्वित होगें।

68 **कारगिल शहीदों के आश्रितों/ कारगिल युद्ध अपंग सैनिकों को देय सुविधायें**

(अ) **शहीद आश्रित।**

क0स0	मद	धनराशी
(क)	अनुगृह अनुदान	₹ 10 लाख
(ख)	पत्नी को पेंशन	₹ 7500/– प्रतिमाह अथवा राज्य सरकर में सेवायोजन
(ग)	माता–पिता को पेंशन	₹ 5000/– प्रतिमाह
(घ)	छात्रवृति	₹ 100/– प्रतिमाह कक्षा 8 तक ₹ 200/– प्रतिमाह कक्षा 12 तक ₹ 300/– प्रतिमाह स्नातक तक
(ङ)	निशुल्क शिक्षा	स्नातक स्तर तक
(च)	ग्रीन कार्ड	शहीद की पत्नी/माता–पिता को

(ब) युद्ध अपंग सैनिक

(क)	अनुग्रह अनुदान	50 प्रतिशत से कम की अपंगता पर ₹ 1 लाख 50 प्रतिशत से अधिक की अपंगता पर ₹ 2 लाख
(ख)	आरक्षण	2 प्रतिशत राज्य सरकार की सेवाओं में
(ग)	स्वरोजगार हेतु अनुदान	अपंग सैनिकों को दुकान निर्माण योजना के अर्न्तगत स्वरोजगार हेतु ₹ 20,000/– की धनराशी समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। उक्त योजना का लाभ लेने वाले अपंग सैनिक को 'कारगिल शहीद परिवार मुख्य मंत्री सहायता कोष' से ₹ 30,000/– की धनराशी कार्यशील पूॅजी के रुप में दी जाती है ।
(घ)	ग्रीन कार्ड	अपंग सैनिक को

69. **<u>उत्तराखण्ड पुलिस एंव आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान</u>।** उत्तराखण्ड आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान से प्रदेश निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं स्थाई रूप से युद्ध अपंग सैनिकों, जिन्हें अपंगता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो, को निम्न आार्थिक सहायता अनुमन्य है :–

क.सं.	मद का नाम	अधिकारी	जे0सी0ओ0 / अन्य रैंक
(अ)	अनुग्रह अनुदान (शहीद सैनिकों के आश्रितों हेतु)	₹ 1,60,000	₹ 1,00,000
(ब)	अनुग्रह अनुदान (स्थाई रूप से युद्ध अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु)	₹ 75,000	₹ 55,000
(स)	युद्ध विधवा / स्थाई रूप से युद्ध अपंग सैनिक के पुत्री विवाह हेतु	–	₹ 30,000 (केवल हवलदार तक)
(द)	जीवन निर्वाह हेतु (एकमुश्त अनुदान, सिर्फ हवलदार पद तक)	–	₹ 11,000 / –
(य)	विशेष चिकित्सा (कैंसर, हृदय, मस्तिष्क व प्लास्टिक सर्जरी हेतु)	–	अनुमानित व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि

(र) **<u>शिक्षा अनुदान ।</u>**

क.स.	मद का नाम	धनराशि
(i)	कक्षा 09 से स्नात्कोत्तर लेवल तक	₹ 1000 / –
(ii)	पीएचडी / एलएलडी तथा एमफिल(मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य)	₹ 12000 / –
(iii)	कोचिंग हेतु (प्रतियोगात्मक परीक्षा / उच्च शिक्षा) मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य)	₹ 2500 / –
(iv)	आई0टी0आई0 हेतु	₹ 1800 / –
(v)	सर्टिफिकेट / डिप्लोमा कोर्स हेतु	₹ 2200 / –
(vi)	बी0एस0सी0 / बी0डी0सी0 / बी0बी0ए0 डिग्री हेतु	₹ 3200 / –
(vii)	बी0टेक, एम0टेक, एम0बी0बी0एस0,बी0एस0सी0 हेतु	₹ 5200 / –
(viii)	कमप्यूटर शिक्षा (मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष या उससे अधिक के कोर्स हेतु)	₹ 12000 / –

पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा देय आर्थिक सहायता।

70. उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा निम्न अनुदान अनुमन्य हैः—

क्रम सं0	अनुदान		धनराशि
(क)	सामान्य शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	कक्षा 11 व 12 हेतु (70 प्रतिशत अंक)	₹ 3,000/—
		स्नातक कक्षाओं हेतु (70 प्रतिशत अंक)	₹ 4,000/—
		स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु(70 प्रतिशत अंक)	₹ 5,000/—
		पी0 एच0 डी0, एल0 एल0 डी0 एवं एम0 फिल0 शोध अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हेतु (60 प्रतिशत अंक)	₹ 10,000/—
(ख)	सर्टिफिकेट कोर्सेज शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	फिटर, वैल्ड़र, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रोनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटाई एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्ड़र, हैन्ड़ीक्राफ्ट एवं आफिस औटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर, डी0ई0ओ0 एवं सैक्रेट्रियल सार्टीफिकेट कोर्सेज ।	₹ 4,000/—
(ग)	डिप्लोमा कोर्सेज शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	माडर्न आफिस मैनेजमैन्ट, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर नैटवर्किंग एवं कम्यूनीकेशन, पौलीटैक्निक इंस्टिट्यूशनस के कोर्सेज, मेड़िकल लैब, इन्टीरियर ड़िजाइनिंग, फार्मेसी आयुर्वेदिक, मेड़िकल लैब टैक्नोलोजी, फैशन टैक्नोलोजी, गारमैन्ट टैक्नोलोजी, वैटनरी टैक्नीसियनस, बी0टी0सी0/ बी0पी0टी0, होटल मैनेजमैन्ट एवं ऐरोव्युटिक्स व सैक्रेट्रियल डिप्लोमा कोर्सेज।	₹ 5,000/—

(घ)	व्यवसायिक / डिग्री कोर्सेज शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	बी0एड0 / बी0पी0एड़0 / एम0एड़0 – एम0पी0एड, बी0एस0सी0 / एम0एस0सी0 (कृषि / हार्टीकल्चर / होम साइन्स),होस्पीटेलिटी इन्ड़स्ट्री, फौरेस्ट्री, फारमेसी (ऐलोपैथी / आर्युवैदिक,होम्योपैथी), नर्सिग कोर्सेज,वैटनरी, बी0 फार्मा / डी0 फार्मा / एम0 फार्मा, जर्नलिज्म, बायोटेक्नोलोजी फिजियोथैरेपी,फैशन एण्ड डिजाइंन टैक्नोलोजी,एल0एल0बी0, एल0एल0एम0,बी0एच0एम0(सी0टी0) / टूरिज्म / ट्रैवल, सी0ए0, बी0बी0ए0 / एम0बी0ए0, बी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 एण्ड पी0जी0डी0एम0	₹ 8,000 / –
(च)	तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा हेतुछात्रवृत्ति।	बी.ई.,एम.ई., बी.टैक.,एम.टैक, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0, बी0डी0एस0 एण्ड वी0वी0एस0, आर्किटैक्चर, फिशरी साइंस ।	₹ 15,000 / –
(छ)	मेघावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।	इन्टरमीड़ियट कक्षाओं हेतु (हाई स्कूल में 90 प्रतिशत अंक तथा कक्षा 11 में 85 प्रतिशत अंक	₹ 12,000 / –
		स्नातक कक्षाओं हेतु (इन्टरमिड़ियट में 90 प्रतिशत अंक तथा स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में 85 प्रतिशत अंक)	₹ 15,000 / –
		स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु । (स्नातक में 85 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 80 प्रतिशत अंक)	₹ 18,000 / –
(ज)	पूर्व सैनिक अनाथ एवं विधवाओं के बच्चों हेतु	कक्षा 1 व कक्षा 8 तक (अनाथों हेतु 33 प्रतिशत अंक)	₹ 6,000 / –
		कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक (अनाथों हेतु 33 प्रतिशत अंक)	₹ 10,000 / –
(झ)	प्रोत्साहन सहायता राशि।	सैनिक स्कूल / आर0आई0एम0सी0 / मिलिट्री स्कूल एन0डी0ए0 / आई0एम0ए0 / ओ0टी0ए0 / एयर फोर्स / नेवल अकादमी में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को एकमुश्त प्रोत्साहन के रुप में अनुदान।	₹ 10,000 / –

(ट)	सामान्य चिकित्सा।	पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक आश्रित, जो पेंशनधारी न हो तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अंशदायी चिकित्सा योजना की पात्रता का योग्य न हो को अनुदान अनुमन्य है।	एक वर्ष में अधिकतम ₹ 10,000/– तक
(ठ)	विशेष चिकित्सा	पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक आश्रित, जो पेंशनधारी न हो तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अंशदायी चिकित्सा योजना की पात्रता का योग्य न हो को, कैन्सर, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा आदि हेतु विशेष तरह की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी ।	कुल ब्यय का अधिकतम 75 प्रतिशत या ₹1,00,000/– जो भी कम हो
(ड)	पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में छूट देना।	पूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण (Term Loan) पर निम्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है :–	
		₹ 1,00,000/– तक	ऋण का 10 प्रतिशत छूट देय होगी।
		₹ 1,00,000/– से ऊपर तथा ₹ 5 लाख तक	शेष धनराशी पर 5% छूट देय होगी
(ढ)	सैनिक विधवाओं की पुत्रियों/ पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु सहायता ।	पूर्व सैनिक विधवाओं की पुत्रियों/ पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो विधिक पुत्रियों तक) की शादी हेतु अनुदान।	₹ 1,00,000/– एक मुश्त
(ण)	विधवाओं को पुनर्विवाह अनुदान।	सैनिक विधवाओं द्वारा पुर्नविवाह करने पर आर्थिक सहायता।	₹ 1,00,000/– 5 वर्ष हेतु एफ0डी0 के रुप में।

(त)	पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता।	अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चियर संस्था कार्यालय द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।	
(थ)	पूर्व सैनिक विधवाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई/बुनाई मशीन में सहायता।	सिलाई मशीन क्रय करने के लिए	₹ 3,000/
		बुनाई मशीन क्रय करने के लिए	₹ 3500/–
(द)	दैवीय आपदा हेतु सहायता	आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवीय आपदा जैसे – भूकंप, भूस्खलन, अग्नि कांड, बाढ से निजी आवासीय घर, जिसमें वह स्वंय वास करते हों, के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आंशिक प्रतिपूर्ति हेत आर्थिक सहायता	₹ 30,000/– एकमुश्त
(ध)	प्री–कम–पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग हेतु छात्रवृत्ति	इस योजना के अन्तर्गत सेना में कार्यरत सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु सेना से सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष/छह माह पूर्व ही आई.टी.आई. में प्रशिक्षण दिया जाता है, जहॉ पर प्रशिक्षण के समय उनकी सेवानिवृत्त की तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क डी0जी0आर, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भुगतान किया जाता है । अगर यह प्रशिक्षण उनके सेनानिवृत्त होने के पश्चात भी जारी रहता है तो ऐसे पूर्व सैनिकों को संस्था द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है।	₹ 500/– प्रतिमाह

(न)	पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन केन्द्र	सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा जो भी प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियॉ, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ ले रहे या पूर्ण रूप से निवास कर रहे हो को, भरण पोषण हेतु निम्नवत सहायता प्रदान की जाती है :–	
		पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन केन्द्र, मोहाली (चंडीगढ़	₹30000/– प्रतिपात्र प्रतिवर्ष
		पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन केन्द्र, किरकी (पूणे)	₹30000/– प्रतिपात्र प्रतिवर्ष
		सेन्ट डन्सटनस् आफ्टर केयर सोसाईटी देहरादून	
		नॉन पेन्सनर	₹ 30000/– प्रतिपात्र प्रतिवर्ष
		पेन्सनर	₹ 14600/– प्रतिपात्र प्रतिवर्ष

सेवारत/पूर्व सैनिकों/आश्रितों के लिए लाभदायक निर्देश

71. सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रत्येक पूर्व सैनिक को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत कराना आवश्यक है।

72. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से पूर्व सैनिक पहचान पत्र प्राप्त करें।

73. ई.सी.एच.एस. के सदस्य बनें। जिस पूर्व सैनिक को ई.सी.एच.एस. की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से अपने व परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा हेतु चिकित्सा कार्ड प्राप्त करें।

74. सी.एस.डी. की सुविधा हेतु कैंटीन कार्ड बनायें।

75. यदि विकलांग बच्चा है तो उसका भी पेंशन के लिये नामांकन करायें।

76. सेवामुक्त होने के उपरान्त बच्चे पैदा होने पर, तलाक, पुनर्विवाह आदि प्रकरणों पर पार्ट–2 आर्डर करायें।

77. दस्तावेजों की हिफाजत जैसे कि पेंशन, मेडिकल, जायदाद, बैंक व कानूनी कागजातों की हिफाजत और आश्रितों को उनकी जानकारी करवाऐं।

78. सब चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत तैयार करके उन पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, हो सके तो यह नोटरी और रजिस्ट्रर के यहां दर्ज करें। अपने NOK को इसके बारे में बताकर किसी सुरक्षित स्थान में रखें।

79. बैंक में पेंशन खाते को पत्नी के साथ में संयुक्त रुप से संचालित करें।

80. विधवाओं को उनके पति के मृत्यु के बाद मिली धनराशि को सिर्फ सरकारी बैंक/पोस्ट आफिस में ही जमा करना चाहिए।

81. पोस्ट आफिस की मासिक आय योजना अधिक लाभकारी है।

82. अधिक धन अर्जित करने की चाह में किसी निजी संस्थाओं में धन नहीं लगाये।

83. सेवारत सैनिकों को डी.ओ. पार्ट–2 आर्डर के द्वारा अपने रिकार्ड हमेशा पूरे रखने चाहिये।

84. सेवारत सैनिक सभी योजनाओं में नामांकन फार्म में अपने आश्रित को नामित करायें।

85. निजी हथियार व गाड़ी, यदि हों तो, इनके लाइसेन्स का यथा समय नवीनीकरण कराकर आश्रितों को इसकी जानकारी दें।

86. यदि पत्नी की मृत्यु स्वयं से पहले हो जाती है, तो नया नोमिनेशन करायें। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद एक पत्नी को अपने अधिकार व सुविधाओं को ज्ञान होना चाहिये। मृत्यु प्रमाण पत्र एक खास दस्तावेज है, जिसे मृत्यु होने पर तुरन्त ही इलाज करने वाले डाक्टर से प्राप्त करें ताकि मृतक का दाह संस्कार किया जा सके। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर ही नगर पालिका, कैंट बोर्ड अथवा ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त किया जा सकता है।

87. पेन्शनर की मृत्यु होने पर, फैमिली पेन्शन एंव अन्य सहायता करने के लिये निम्न कार्यालयों को मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन पट्टे का विवरण, सामूहिक बीमा निधि का विवरण आदि भेज कर सूचित करें:–

(i) संबधित अभिलेख कार्यालय।
(ii) सी.डी.ए.(पी) इलाहाबाद।
(iii) सी.डी.ए.(ओ) पूना (केवल अधिकारियों के लिये)।
(iv) सेना मुख्यालय, एम.पी.–5, ए.जी. ब्रान्च, पश्चिमी ब्लाक–3,आर.के. पूरम नई दिल्ली–66 (केवल अधिकारियों के लिये)।
(v) सेना मुख्यालय, सी.डब्लू.–4, सेना भवन, नई दिल्ली–11 (केवल अधिकारियों के लिये)।
(vi) बैंक/कोषागार, जहां से पेंशन ली जा रही हो।
(vii) सेना सामूहिक बीमा, कार्यालय, राव तुलाराम मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली–11।
(viii) सचिव आवा, ए.जी. ब्रान्च, सेना भवन, नई दिल्ली–11
(ix) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।

88. पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी को तुरन्त बैंक में पेंशन खाता खोल कर (यदि संयुक्त पेंशन खाता संचालित न हो) इसकी सूचना सी0डी0ए0 (पेंशन) को देनी चाहिए और उस खाता में भी नामांकन करायें

89. पति के नाम का सी0एस0डी0 और राशन कार्ड को अपने नाम पर बदली करायें।

90. विधवा पहचान पत्र के लिये तीन पास पोर्ट साइज फोटो, डिस्चार्ज बुक, पी. पी.ओ., पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व पति का पूर्व सैनिक पहचान पत्र के साथ अपने जिला सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास कार्यालय से सम्पर्क सस्थापित कर विधवा पहचान पत्र प्राप्त करें तथा मृतक पूर्व सैनिक के दाह संस्कार हेतु मिलने वाली धनराशि रुपये 10000/– के लिये आवेदन करें।

91. पत्नी बैंक में पेंशन खाता खोलने पर जीवित कालिन बकाया राशि के लिये अपने किसी वारिस को नामांकन करें।

निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के पता एवं दूरभाष नम्बर

क्र स	निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का पता	दूरभाष नम्बर	फैक्स नम्बर	टोल फ्री नम्बर
1.	निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास 15–सी कालीदास मार्ग, हाथीबडकला देहरादून ।	0135–2741481	0135–2743773	18001804007
2.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय अल्मोड़ा ।	05962–230246	05962–232210	18001804008
3.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय बागेश्वर ।	05963–220961	05963–221751	18001804008
4.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय चमोली ।	01372–252195	01372–251481	18001804008
5.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय चम्पावत।	05965–230893	05963–230883	18001804008
6.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देहरादून ।	0135–2720179	0135–2626091	18001804008
7.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय हरिद्वार ।	01334–250916	01334–250082	18001804008
8.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय हल्द्धानी ।	05946–221614	05946–281410	18001804008
9.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लैन्सडौन ।	01386–262365	01386–263149	18001804008
10	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पौडी।	01368–222335	01368–223399	18001804008
11	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पिथौरागढ़।	05964–224185	05964–226771	18001804008
12	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय रुद्रप्रयाग ।	01364–233961	01364–233584	18001804008
13	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय टिहरी ।	01376–232320	01376–234145	18001804008
14	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय उधमसिंहनगर	05944–250375	05944–250331	18001804008
15	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय उत्तरकाशी।	01374–222417	01374–222191	18001804008

उत्तराखण्ड में संचालित सैनिक विश्राम गृहों की सूची

क्र.सं.	सैनिक विश्राम गृह एवं पता	जनपद	दूरभाष न0
1.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	05962–230246
2.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, चौखुटिया	अल्मोड़ा	–तदैव–
3.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह बागेश्वर	बागेश्वर	05963–220961
4.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह चम्पावत	चम्पावत	05965–230893
5.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह टनकपुर	चम्पावत	–तदैव–
6.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह चमोली	चमोली	01372–252195
7.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह गोपेश्वर	चमोली	–तदैव–
8.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह गोचर	चमोली	–तदैव–
9.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह,देहरादून	देहरादून	0135–2720179
10.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, ऋषिकेश	देहरादून	–तदैव–
11.	राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह देहरादून	देहरादून	–तदैव–
12.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह हरिद्वार	हरिद्वार	01334–250916
13.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह रुड़की	हरिद्वार	–तदैव–
14.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह हल्द्वानी	नैनीताल	05946–221614
15.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह रामनगर	नैनीताल	–तदैव–
16.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	01368–222335
17.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह श्रीनगर	पौड़ी गढ़वाल	–तदैव–
18.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह लैन्सडौन	पौड़ी गढ़वाल	01386–262365
19.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह धुमाकोट	पौड़ी गढ़वाल	–तदैव–
20.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह कोटद्वार	पौड़ी गढवाल	–तदैव–
21.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	05964–224185
22.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह डीडीहाट	पिथौरागढ़	–तदैव–
23.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह देवलथल	पिथौरागढ़	–तदैव–
24.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह बेरीनाग	पिथौरागढ़	–तदैव–
25.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह मुनस्यारी	पिथौरागढ़	–तदैव–
26.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	01364–233961
27.	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह टिहरी	टिहरी	01376–232320
28.	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह नरेन्द्र नगर	टिहरी	–तदैव–
29	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	01374–222417
30	जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह उधमसिह नगर	उधमसिहनगर	059944–250375
31	तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह खटीमा	उधमसिहनगर	–तदैव–